



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169574

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 16806 वर्ष 2025

आशीष कौशिक और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिलेश चंद्र शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शैलेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि दिनांक 13 जनवरी, 2020 के समन आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 0914

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्ष 2019 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1885 वर्ष 2020 (राज्य बनाम. आशीष कौशिस और अन्य), धारा 354, 323, 504 भा.दं.सं., थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर लघुवाद न्यायालय, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त किया जाए।

3. वर्तमान आपराधिक आवेदन पर विचार करते हुए इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 14 मई, 2025 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को उसके सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था तथा विचारण न्यायालय को उक्त समझौते का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था।
4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 02 अगस्त, 2025 के आदेश द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का सत्यापन कर दिया है। समझौते के सत्यापन संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथपत्र के संलग्नक संख्या एस.ए. संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और उक्त समझौते का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सत्यापन कर दिया गया है, अतः उपर्युक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी जाए।
6. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
7. यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; (2003) 4 एस सी सी 675,

(ii) निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन; (2008) 9 एस सी सी 677,

(iii) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य; (2008) 16 एस सी सी 1,

(iv) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एस सी सी 303,

(v) नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस सी सी 466,

(vi) डिम्पी गुजराल बनाम विवेक गुजराल और अन्य बनाम/ केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से प्रशासक चंडीगढ़ एवं अन्य; (2013) 11 एससीसी 497,

(vii) एच.एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य; 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 38, तथा

(viii) नौशे अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; (2025) 4 एस सी सी 78।

8. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; 2013 (83) एससीसी 278 में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें



उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से समझाया गया है।

9. उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, न्यायालय का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकार पहले ही अपने विवाद का निस्तारण कर चुके हैं।
10. तदनुसार, आपराधिक वाद संख्या 1885 वर्ष 2020 (राज्य बनाम. आशीष कौशिस और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 0914 वर्ष 2019, धारा 354, 323, 504 भा.दं.सं., थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर लघुवाद न्यायालय, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
11. तदनुसार, वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

12 अगस्त, 2026

सुशील/-